सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–2023 / 106 दर्ज तिथिः– 12.06.2023

1. कालूराम पुत्र साधूराम
2. माधूराम पुत्र साधूराम
3. कैलाश पुत्र साधूराम
4. किशनलाल पुत्र साधूराम
5. मूलचन्द पुत्र साधूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान टोडा तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र सुण्डा
2. रामधन पुत्र सुण्डा
3. रामनाथ पुत्र सुण्डा
4. रामला पुत्र सुण्डा
5. श्रवण पुत्र सुण्डा
6. जगदीश पुत्र गंगला
7. भैरू पुत्र स्व. नानछा
8. बाबूलाल पुत्र स्व. नानछा
9. बिला देवी पत्नी स्व. नानछा
10. राजू देवी पत्नी स्व. कैलाश पुत्रवधू स्व. नानछा
11. मोहित पुत्र स्व. कैलाश नाबालिक माता सरपरस्ती खुद राजो देवी
12. छोटा पुत्र स्व. कैलाश नाबालिग माता सरपरस्ती खुद राजो देवी
13. बाबूलाल पुत्र धुडा
14. बालूराम पुत्र धूड़ा
15. रामेश्वर पुत्र धूड़ा
16. साधू पुत्र गंगला
17. हुक्मा पुत्र गंगला
18. गंगासहाय पुत्र चुन्ना
19. तीजा पत्नी गंगासहाय
20. बम्बूराम पुत्र सुखा
21. भैरूसहाय पुत्र सुखा
22. रामनाथ पुत्र रामपाल
23. साधूराम पुत्र रामपाल
24. हनुमान पुत्र रामपाल

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान टोडा तहसील प्रतापगढ जिला अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

25. रामेश्वरी पुत्री नानछा पत्नी सुल्तान
26. हंसा पुत्री नानछा पत्नी गोकुल
    समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर
27. गीता पुत्री नानछा पत्नी मुकेश जाति गुर्जर निवासी धीरावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
28. अर्जुन पुत्र ग्यारसा
29. बोबडा पुत्र ग्यारसा
    समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान टोडा तहसील प्रतापगढ जिला अलवर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता—श्री मुरारीलाल।
अप्रार्थीः— स्वयं एवं अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

दिनांक 11.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 680/0.32 है0, 692/0.47 है0, 695/0.08 है0, 696/0.32 है0, 697/0.37 है0, 698/0.14 है0, 700/0.08 है0, 701/0.20 है0, 704/0.39 है0, 705/0.42 है0, 706/0.16 है0, 715/0.15 है0 वाके ग्राम टोडा में पहुँच के प्रयोजन के लिए प्रतापगढ—भूरियावास पक्की सड़क से तरफ दक्षिण को खसरा संख्या 657/0.06 है0 बंजड में से होकर खसरा संख्या 658 व 685 के मध्य दोनों खसरा नम्बरान में से 7—7 फुट कुल 14 फुट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण आगे खसरा संख्या 684 की उत्तरी डोल तक तथा इससे आगे तरफ पूर्व में घूमकर खसरा संख्या 684 व 685 के मध्य दोनों खसरा नम्बरों में से 7—7 फुट कुल 14 फुट चौडा रास्ता पश्चिम से पूर्व खसरा संख्या 689 की सीमा तक तथा इसके आगे तरफ दक्षिण में घूमकर खसरा संख्या 689 व 690 तथा 684 के मध्य डोल में 7—7 फुट चौडा यानि कुल 14 फुट चौडा रास्ता उत्तर से दक्षिण को खसरा संख्या 682 की दक्षिणी डोल तक तथा इसके आगे खसरा संख्या 682 के पूर्वी हिस्से में उत्तरी डोल से उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के खसरा संख्या 692 के उत्तरी—पश्चिमी कोने की डोल तक रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने के आधार पउक्त आवेदित रास्ते को करीब 14 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 05, 06, 08—15, 19, 22 व 25—27 बावजूद विधिवित् तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

शेष अप्रार्थीगण द्वारा असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर इकबाल जवाब प्रस्तुत किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2023/1910 दिनांक 04.07.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

4. प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना—पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना—पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है—

धारा 251—क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना—*(1) जहॉ*

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

*तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी निर्धारित करे, अनुज्ञात कर सकेगा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

(1) जहॉ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

   1. *खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। इस बाबत तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। उक्त तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 द्वारा प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग के विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प रिकॉर्ड व मौका अनुसार उपलब्ध होना प्रतीत नहीं होता है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग के विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. साथ ही प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं उभय पक्षकारों को न्यायालय में पूर्व सूचित करते हुये उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया। दौराने मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण अनुपस्थित तथा प्रार्थीगण मौके पर उपस्थित मिले। प्रार्थीगण द्वारा आवेदित मौके पर चालू रास्ते के साथ—साथ अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में सुझाये गये वैकल्पिक रास्ते के विकल्प के साथ प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता तथा तत्पश्चात लघुत्तम मार्ग के परीक्षणों के तहत प्रार्थना—पत्र के तथ्यों के संदर्भ में मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि प्रार्थी द्वारा आवेदित कदीमी रास्ता करीब 8—10 फीट चौडाई में मौके पर चालू है। इसके साथ ही प्रार्थीगणों की आराजी तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर चालू नहीं मिला। इसके पश्चात प्रार्थीगणों की आराजी तक पहुंच हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प के तौर पर प्रार्थीगणों द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम रास्ता हेतु मार्ग उचित प्रतीत हुआ। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात इस बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

10. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग के अतिरिक्त मौके पर कोई लघुत्तम मार्ग उपलब्ध नहीं है। उक्त आवेदित मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग ही लघुतम मार्ग प्रतीत होता है।

6. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के तहत सरकारी सिवायचक भूमि से नवीन रास्ता चाहा गया है। सरकारी सिवायचक भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के द्वारा निर्देश जारी किये हुए है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः—

परिपत्र

विषयः—राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में।

सम्बंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुँच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता निकाला है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रावधानों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पडती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नही है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुँच ने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौडा करना है तो उनका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के सम्बन्ध में ही है। लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुँच ने के लिए कोई रास्ता नही है। खातेदार राजकीय भूमि में से होकर ही अपनी जोत तक पहुँच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आन—जाने के लिए रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँच ने लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जाँच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम—2004 के नियम—2 के उपनियम—(1) के खण्ड—(ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों पर दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी तथा उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

11. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं दिनांक 04.07.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता से पहुॅच नही होने तथा आवेदित रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। साथ ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के द्वारा सिवायचक भूमि से रास्ता दिये जाने के प्रावधान बनाये गये है। अतः दिनांक 04.07.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 14 फुट चौडा गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते की अनुपलब्धता के निष्कर्ष तथा आवेदित रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर सिवायक भूमि पर राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 04.07.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित 14 फुट चौडाई के रास्ते में आयी भूमि की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम—70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 04.07.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावें।

अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमिएवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारो के मध्य सहमति हो तो मुताबिक सहमति मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को करना सुनिश्चित करे। अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमिएवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारो के मध्य सहमति नहीं हो तो, तहसीलदार थानागाजी दिनांक 31.07.2023 तक उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि आंकलित कर अप्रार्थीगण को सूचित करते हुये प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि जमा कराने हेतु सूचित करे। प्रार्थीगण दिनांक 07.08.2023 से पूर्व तहसीलदार थानागाजी द्वारा आंकलित राशि नियमानुसार जमा करावे तथा अप्रार्थीगण दिनांक 07.08.2023 तक अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करे। दिनांक 07.08.2023 के पश्चात तहसीलदार थानागाजी प्रार्थीगण के नियमानुसार मुआवजा राशि नियत तिथि तक जमा कराने तथा अप्रार्थीगण द्वारा नियत तिथि तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मुआवजा राशि को निर्धारित मद में जमा करते हुये उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर उक्त रास्ते को चालू कराना सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested